

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास

क्रमांक :-सखअ/रूप/रि.अ.1/डायवर्जन/2023/ 463

दिनांक- 20.02.2023

श्रीमान उप वन संरक्षक

भरतपुर।

विषय:- ग्राम पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर वन क्षेत्र के प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्रफल 248.5515 हैक्टेयर के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 4894-95 दिनांक 14.02.2023 व आपका पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 16.02.23।

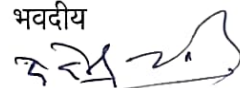
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्रों के संबंध में पहाडपुर वन क्षेत्र डायवर्जन हेतु परिवेश पोर्टल पर दिनांक 03.11.2021 को 248.5515 हैक्टेयर का आवेदन किया गया, जिसका ऑनलाईन आवेदन संख्या FP/RJ/MIN/149012/2021, के संबंध में वांछित दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार अपलोड किये गये है-

01. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर की KML File.
02. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर का DGPS Map.
03. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर का G.T. Sheet Map.
04. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर की Area Calculation Sheet.
05. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर की Cost Benefit Analysis.
06. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर की वन एवं खान विभाग के संयुक्त दल मौका रिपोर्ट।
07. संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर में आने वाले खसरो के राजस्व नक्शे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि संशोधित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टेयर के डायवर्जन की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय



( देवेन्द्र चौहान )

सहायक खनि अभियन्ता,

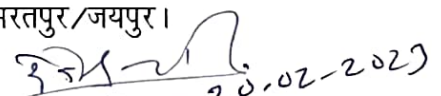
रूपवास, भरतपुर

क्रमांक :-सखअ/रूप/रि.अ.1/डायवर्जन/2023/ 464-469

दिनांक-20.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. श्रीमान शासन उपसचिव खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग जयपुर ।
02. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
03. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर को प्रासांगिक पत्र के क्रम में।
04. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा, जोन कोटा।
05. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर/जयपुर।



सहायक खनि अभियन्ता,

रूपवास, भरतपुर

राजस्थान सरकार  
संस्कृत माता विद्या

आज दिनांक 17/02/2022

मेरी प्रार्थना है कि आप इस पत्र को (अनुप्राण) ले कर अपनी प्रार्थना  
 कि अनुप्राण (अनुप्राण) द्वारा दिये गये निर्देशों  
 वन विभाग (Range Office Baramulla) कि लेखक से  
 द्वारा दिये गये - पत्राचार लि. Block-A एवं  
 183-25/2017 को मिला देखा गया / मॉडेल पर Plantation  
 का सीमा देखा/परिष्कृत किया जाने वाले )  
 द्वारा वन विभाग कि सीमा में दिखाने वाली

समाजी जाका इमस्त्रिजों दुस धर्यात किने शके

RO  
Amjorn  
17/02/2013

13/02/2023

100  
 (P. 10000)  
 M. R.

T.C.  
30/12/17  
[Signature]  
[Stamp]

## कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ( )FCA/उवसं/2023/1205  
निमित्त,

दिनांक: 18/02/23

सहायक खनि अभियंता,

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

रूपवास

विषय:—ग्राम पहाड़पुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर वन क्षेत्र के प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्रफल 248.5515 है० के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय क्षेत्राधिकार में पहाड़पुर वन क्षेत्र डायवर्जन हेतु परिवेश पोर्टल पर प्राप्त प्रपोजल FP/RJ/MIN/149012/2021 में पायी गयी कमियाँ निम्नानुसार है—

1. प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्र की के०एम०एल० संलग्न नहीं किये गये।
2. मौके पर निशान नहीं लगाये गये।
3. प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले खसरों के राजस्व नक्शे संलग्न नहीं किये गये

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति करवाकर उक्त प्रकरण इस कार्यालय में भिजवावे। जिससे कि अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर

क्रमांक: एफ( )FCA/उवसं/2023/

दिनांक:

प्रतिलिपि:—सहायक वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं/ 4094-95 दिनांक 14.02.23

1. मुख्य वन संरक्षक,  
भरतपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (खान)  
सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास,  
नोडल अधिकारी वन मामलात,  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,  
खनिज भवन, उदयपुर।

विषय:-Diversion of 248.5515 ha. of forest land in favor of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

सन्दर्भ:-सहायक खनि अभियंता, रूपवास, भरतपुर का पत्रांक सखअ/रूप/ डायवर्जन/2023/स्पे-1 दिनांक 10.02.2023 एवं उप वन संरक्षक भरतपुर का पत्रांक 1234 दिनांक 13.02.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में प्रकरण में पूर्व में प्रस्तावित वन क्षेत्र 248.5515 हैक्टर में से 15.30 हैक्टर वन क्षेत्र ईको सेन्सेटिव जोन में होना एवं 44 हैक्टर वन क्षेत्र खण्डित खनन पट्टा 124/1990 होने से कुल 59.30 हैक्टर वन क्षेत्र को कम करने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय में हुए विचार विमर्श एवं तदनुसार उप वन संरक्षक, भरतपुर की अभिशंषा संदर्भित पत्रांक 1234 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार पूर्व में प्रस्तावित वन क्षेत्र को कम किया जाकर शेष 189.2515 हैक्टर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु परिवेश पोर्टल 1 पर वांछित आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

अतः प्रकरण में संशोधित वन क्षेत्र होने के कारण तदनुरूप KML File, DGPS Map, G.T. Sheet Map, Area calculation Sheet, Cost Benefit Analysis प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार ही भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-14/2021-एफ (Vol) दिनांक 24.08.2022 से वांछित सूचनाएँ भी प्रेषित करें।

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
2. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास, भरतपुर

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner